



2026:AHC:25180

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1703 / 2026

ओम प्रकाश गुप्ता

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 4 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आनन्द कुमार गुप्ता

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद कुमार गुप्ता के सहयोगी अधिवक्ता श्री विनय कुमार सिंह (एओआर संख्या- A/V 0297/12) तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।

2. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह एक उप-निरीक्षक है, जिसे वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त होना है। हालांकि, द्वितीय प्रतिवादी, अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2025 के माध्यम से याचिकाकर्ता का स्थानांतरण बांसगांव, गोरखपुर से देवीपाटन परिक्षेत्र कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वह वर्ष 2027 में सेवानिवृत्त होने वाला है और शासनादेश दिनांक 06.05.2025 के पैरा-5(V) में निहित प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था।

3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ 20.02.2026 तक प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 2 इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे।

5. याचिकाकर्ता को संरक्षण केवल तभी उपलब्ध होगा, यदि वह स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लेता है।

5 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(विकास बुधवार, जे.)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"